न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद 107/2020

प्रार्थीगण :-

1. अर्जुनराम पुत्र स्व. अचलाराम जाति जाट निवासी
2. पूराराम पुत्र बनाराम जाति जाट
3. सुखराम वल्द स्व. अखारामजी जाति जाट (चौधरी)
4. कौशलाराम पुत्र स्व.भेराराम जाति जाट सभी निवासी हिम्मताणी भांभूओं की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिलिपि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र तहत धारा 131, 136 आर. एल. आर. एक्ट वास्ते गलत तरमीम को निरस्त कराने बाबत ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक :-8.09.2020

आदेश

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्र्गत धारा 131, 136 रा0भू0रा0 अधिनियम विप्रार्थीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि मौजा हिम्मताणी भांभूओं की ढाणी के खसरा न0 878/3 रकबा 50 बीघा, पुराराम के नाम खसरा न0. 875/3 रकबा 50 बीघा एवं सुखराम के नाम खसरा न0 877/3 रकबा 50 बीघा एवं कौशलाराम के नाम खसरा नं0 876/3 रकबा 50 बीघा कृषि भूमि कब्जा काश्तसुदा स्थित है। उक्त खसरान के पुरान खसरा नं0 3/1 रकबा 200 बीघा भूमि थी,जिसका प्रार्थीगण के द्वारा बंटवाडा कराने पर प्रत्येक प्रार्थीगण के हिस्से में 50-50 बीघा भूमि आयी, उसी माफिक मौके पर कब्जा कश्त है मगर पूर्व हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर नक्शा ट्रेठे मे तरमीम चारो प्रार्थीगण की भूमि की गलत कर दी गई, जिसका पता दिनांक 26.01.2020 को प्रार्थी अर्जुनराम को जानकारी लगने पर उसके द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर एवं तहसीलदार को शिकायत की गई जिस पर तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार पचपदरा को जांच करवाकर जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर बाडमेर को दिनांक 15.7.2020 को प्रेषित की गई, जिसमें स्पष्ट तौर से बताया गया कि हल्का पटवारी हाल भूअभिलेख पाटोदी के द्वारा राजस्व

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

लट्ठा नक्शा में तरमीम अनुचित की गई है। अतः प्रार्थीगण की दरख्वास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने जवाब पेश किया कर जाहिर किया कि ग्राम हिम्मताणी भांभूओं की ढाणी खसरा न0. 875/3, 876/3, 877/3 व 878/3 रकबा कमशः 50.00, 50.00, 50.00 व 50.00 बीघा जमाबंदी में दर्ज है। उक्त खसरान की वर्तमान लट्ठा ट्रेस में तरमीम खसरा संख्या 875/3 रकबा 50.00 बीघा के स्थान पर 53.00 बीघा, खसरा न0 877/3 रकबा 50.00 बीघा के स्थान पर 66 बीघा, खसरा न. 878/3 रकबा 50.00 बीघा के स्थान पर 28.00 बीघा की तरमीम वर्तमान लट्ठा ट्रेस में हो रखी है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं तहसीलदार पचपदरा के जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात जमाबंदी की सत्य प्रति छाया प्रति प्रमाणित का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

बाद गौर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम हिम्मताणी भांभूओं की ढाणी खसरा न0. 875/3, 876/3, 877/3 व 878/3 रकबा कमशः 50.00, 50.00, 50.00 व 50.00 बीघा की नक्शा लट्टा ट्रेस मे दर्ज गलत तरमीम को निरस्त किया जाता है व तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में नियमानुसार सही तरमीम की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा